भारत सरकार
सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय
दिव्यांगजन सशक्तिकरण विभाग

लोक सभा

अतारांकित प्रश्न संख्या – 1333
उत्तर देने की तारीख : 03.12.2024

निःशक्त व्यक्तियों के अधिकार

1333. श्री चन्द्र प्रकाश जोशी :

क्या सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार देश में "निःशक्त व्यक्तियों के अधिकार" को सुनिश्चित करने के लिए कोई प्रयास कर रही है और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ख) क्या सरकार का विचार देश में निःशक्त बच्चों को पढ़ाने के लिए विशेष रूप से प्रशिक्षित शिक्षकों की सेवाएं प्रदान करने का है और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या राज्य सरकारें देश में निःशक्त बच्चों को प्रशिक्षण प्रदान करने के लिए भारतीय पुनर्वास परिषद द्वारा निर्धारित पात्रता मानदंड अपनाने के लिए कानूनी रूप से बाध्य हैं और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(घ) राजस्थान के संदर्भ में नि:शक्त व्यक्तियों के अधिकारों को सुनिश्चित करने के लिए क्या प्रयास किए गए हैं?

उत्तर
सामाजिक न्याय और अधिकारिता राज्य मंत्री

(श्री बी.एल.वर्मा)

(क): भारत सरकार ने दिव्यांगजनों के अधिकारों और गरिमा को बनाए रखने और उसे बढ़ावा देने के लिए अपनी प्रतिबद्धता को प्रदर्शित करते हुए दिव्यांगजनों के अधिकारों पर संयुक्त राष्ट्र सम्मेलन (यूएनसीआरपीडी) के उद्देश्यों की अभिपुष्टि की है। यूएनसीआरपीडी के प्रावधानों के अनुरूप, सरकार ने दिव्यांगजन अधिकार अधिनियम (आरपीडब्ल्यूडी), 2016 को अधिनियमित किया। उक्त अधिनियम में दिव्यांगजनों को अधिकार और हकदारियां प्रदान की गई हैं, जिनमें अन्य बातों के साथ-साथ, समानता, गैर-भेदभाव, क्रूरता और अमानवीय व्यवहार से बचाव, सुरक्षा और संरक्षण, घर और परिवार, प्रजनन अधिकार, मतदान तक पहुंच, न्याय तक पहुंच और संरक्षक के लिए प्रावधान शामिल हैं। इस अधिनियम में सरकारी नौकरी में बेंचमार्क दिव्यांगजनों (पीडब्ल्यूबीडी) के लिए कम से कम 4% आरक्षण और सरकार से सहायता प्राप्त करने वाले उच्च शिक्षा संस्थानों में पीडब्ल्यूबीडी के लिए 5% आरक्षण का प्रावधान है। दिव्यांगजनों के अधिकारों की रक्षा के लिए कदम उठाने हेतु आरपीडब्ल्यूडी अधिनियम 2016 की धारा 74 के तहत मुख्य आयुक्त दिव्यांगजन का कार्यालय स्थापित किया गया है।

हालांकि, भारत के संविधान की राज्य सूची की प्रविष्टि 9 के अनुसार दिव्यांगजनों को राहत प्रदान करना राज्य का विषय है, केंद्र सरकार, अपनी प्रमुख योजनाओं अर्थात् सहायक यंत्रों/उपकरणों की खरीद/फिटिंग के लिए दिव्यांगजनों को सहायता (एडिप), दिव्यांगजन अधिकार अधिनियम, 2016 के कार्यान्वयन के लिए योजना

(सिपडा), दीनदयाल दिव्यांगजन पुनर्वास योजना (डीडीआरएस), कौशल प्रशिक्षण, छात्रवृत्ति, सुगम्य भारत अभियान आदि योजनाओं के माध्यम से दिव्यांगजनों के अधिकारों को सुनिश्चित करने के लिए राज्य सरकारों के प्रयासों को बढ़ावा देती है।

(ख): आरसीआई अधिनियम, 1992 के तहत भारतीय पुनर्वास परिषद (आरसीआई) को दिव्यांगजनों को प्रदान की जाने वाली सेवाओं को विनियमित करने और उनकी निगरानी करने, पाठ्यक्रम का मानकीकरण करने तथा पुनर्वास और विशेष शिक्षा के क्षेत्र में काम करने वाले सभी योग्य पेशेवरों और कार्मिकों का एक केंद्रीय पुनर्वास रजिस्टर बनाए रखने का अधिदेश दिया गया है। इस परिषद को पुनर्वास पेशेवरों/कार्मिकों की 16 श्रेणियों के अंतर्गत मानव संसाधन विकास के लिए पाठ्यक्रम पाठ्यचर्या का मानकीकरण करने का अधिदेश दिया गया है जिसमें एक श्रेणी 'विशेष शिक्षक' की है। आरसीआई ने देश भर में 696 अनुमोदित संस्थानों में दी जा रही विशेष शिक्षा में डिप्लोमा, डिग्री और स्नातकोत्तर स्तर पर शिक्षक प्रशिक्षण कार्यक्रम को मंजूरी दे दी है। अब तक, आरसीआई अधिनियम, 1992 की धारा 19 के अंतर्गत आरसीआई द्वारा अनुरक्षित केन्द्रीय पुनर्वास रजिस्टर (सीआरआर) में विशेष शिक्षा में 1.81 लाख पेशेवर/कार्मिक पंजीकृत हैं। आरसीआई अधिनियम, 1992 की धारा 13 के अनुसार, यह आवश्यक है कि केवल एक वैध और सक्रिय सीआरआर संख्या वाला योग्य विशेष शिक्षक ही दिव्यांग बच्चों को विशेष शिक्षा प्रदान करें ।

(ग): आरसीआई अधिनियम, 1992 की धारा 11 के अनुसार, इस परिषद को पुनर्वास पेशेवरों/कार्मिकों की 16 श्रेणियों के लिए, मानव संसाधन विकास हेतु, पाठ्यक्रम पाठ्यचर्या के मानकीकरण का अधिदेश दिया गया है जिसमें एक श्रेणी 'विशेष शिक्षक' की है। तदनुसार, इस परिषद ने विशेष शिक्षा और दिव्यांगता पुनर्वास के क्षेत्र में सेवा प्रदान करने के लिए विशेष शिक्षकों और अन्य पुनर्वास पेशेवरों /कार्मिकों की भर्ती के लिए मॉडल भर्ती नियम जारी किए हैं, जिनका अनुपालन सभी संबंधित भर्ती एजेंसियों द्वारा मॉडल के रूप में किया जाना है।

(घ): इस विभाग द्वारा राजस्थान राज्य में कार्यान्वित विभिन्न योजनाओं के तहत कवर किए गए लाभार्थियों और वितरित राशि का विवरण निम्नानुसार है:

(राशि करोड़ रुपये में)

योजना	2021-2022		2022-2023		2023-2024	
	लाभार्थी	राशि	लाभार्थी	राशि	लाभार्थी	राशि
एडिप	7,483	4.52	10,132	6.67	19,869	21.56
डीडीआरएस	528	2.86	546	2.39	513	3.20
छात्रवृत्ति	1856	4.08	1084	3.54	1007	3.51

****